



2026:AHC-LKO:40514

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9278 सन 2025

अनिल वर्मा

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ
एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :	आयुष शर्मा, अनुभव अवस्थी, बृजमोहन सहाय, मनोज कुमार मिश्रा, शहला जुबैर
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :	शासकीय अधिवक्ता, अतुल कृष्ण, प्रवीण कुमार यादव, ऋषभ चौहान

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

- श्री बी.एम. सहाय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुभव अवस्थी की सहायता से सुना गया, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषभ चौहान की ओर से उपस्थित श्री प्रज्ज्वल हर्ष को तथा राज्य की ओर से श्री मयंक सिन्हा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0007 सन् 2025, अंतर्गत धारा 363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दंड संहिता, तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ल)/6 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5), पुलिस थाना - लोनी कटरा, जिला - बाराबंकी में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक और शिकायतकर्ता की पुत्री ने प्रेम विवाह किया था और वे साथ रह रहे थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद आवेदक की पत्नी अक्सर अपने माता-पिता के घर आती-जाती थी। आवेदक को अपनी पत्नी के लापता होने की जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त अवधि के दौरान वह वर्तमान मामले के शिकायतकर्ता के साथ रह रही थी। अचानक, प्रश्नगत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विवेचना के दौरान आवेदक के संज्ञान में आया कि दिनांक 21.10.2024 को एक महिला का शव नहर में पाया गया था, जिसका पंचनामा किया गया और तत्पश्चात शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की अनुमानित अवधि लगभग चार दिन पूर्व की बताई गई थी।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन के मामले के अनुसार, एक स्वतंत्र गवाह, अर्थात् रामचंद्र का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने बताया कि दिनांक 13.10.2024 को रात्रि लगभग 9 बजे, जब वह घर लौट रहा था, उसने आवेदक को, जो उसके परिचित थे, सड़क के एक किनारे अपनी स्कॉर्पियो कार के साथ पेशाब करने के लिए खड़े देखा; जब वह कार के पास पहुँचा, तो उसने देखा कि कार की आगे वाली सीट पर एक महिला सो रही थी, जिसने वही साड़ी पहन रखी थी, जो कथित फोटो में महिला द्वारा पहनी गई थी; उसे यह लगा कि वे दंपति थे और घर जा रहे थे, लेकिन 7 से 8 दिन बाद उसे यह जानकारी हुई कि एक अज्ञात महिला का शव नहर में पाया गया था।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मृत्यु के समय और गवाह द्वारा अंतिम बार देखे जाने के संबंध में अभियोजन की कहानी में विरोधाभास है। आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक को 6 अन्य मामलों में भी अभियुक्त बनाया गया है। इनमें से एक मामला धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित है। एक मामले में, अर्थात् मुकदमा अपराध संख्या 520 सन् 2008, पुलिस थाना लोनी कटरा, बाराबंकी, आवेदक को पहले ही बरी किया जा चुका है। एक अन्य मामले में, अर्थात् मुकदमा अपराध संख्या 167 सन् 2015, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। दो अन्य मामलों में, उसे कोई नोटिस तामील नहीं किया गया है।



अंततः यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है, और वह 4.02.2025 से जेल में है, और एक वर्ष से अधिक समय पहले ही बीत चुका है, लेकिन आज तक आरोप तय नहीं किए गए हैं, अतः वह जमानत का हकदार है।

4. शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता की पुत्री नाबालिग थी और लगभग चार वर्ष पूर्व आवेदक द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था, तत्पश्चात, यह जानकारी हुई कि आवेदक ने उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। तथापि, वे इस तथ्य से विवाद नहीं करते कि शिकायतकर्ता की पुत्री के अपहरण के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि 20.08.2024 को शिकायतकर्ता के पति की मृत्यु हो गई, तब उसकी पुत्री उसके घर आई। इसके पश्चात, शिकायतकर्ता अपनी पुत्री के संपर्क में थी और लगभग तीन माह पूर्व, उसे सूचित किया गया कि उसकी पुत्री को आवेदक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायतकर्ता ने अपनी पुत्री से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकांश समय आवेदक यह सूचित करता था कि वह बाहर है और उसकी पत्नी का मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसी ने शिकायतकर्ता को उसकी पुत्री से बातचीत करने के लिए कॉल की सुविधा प्रदान की।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि स्वतंत्र गवाहों ने अंतिम बार देखे जाने से संबंधित साक्ष्य का समर्थन किया है, अतः आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए तथा जमानत आवेदन की विषय-वस्तु के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक सामग्री, जिसमें पंचनामा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शिकायतकर्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रति-शपथपत्र शामिल हैं, का अवलोकन करने पर, पंचनामा रिपोर्ट के अनुसार, मृतका का शव 21.10.2024 को पाया गया था, जिसका पोस्टमार्टम 24.10.2024 को किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का अनुमानित समय लगभग चार दिन दर्शाया गया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन की कहानी का समर्थन करने वाले गवाह, अर्थात् रामचंद्र, के बयान में उसने कहा कि उसने 13.10.2024 को रात 9 बजे आवेदक को अपनी पत्नी के साथ सड़क के एक ओर अपनी स्कॉर्पियो कार के साथ खड़े देखा था और 7 से 8 दिनों के बाद उसे यह तथ्य पता चला कि



नहर में एक लावारिस शव पाया गया था और मृतका के शरीर पर वही साड़ी पाई गई थी। उक्त गवाह के बयान के अनुसार, उसने महिला को 13.10.2024 को देखा था, लेकिन मृतका का शव 21.10.2024 को पाया गया, जिसका पोस्टमार्टम 24.10.2024 को किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय चार दिन बताया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, विरोधाभास हैं। अतः यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है और आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है।

6. जमानत आवेदन को *अनुमति* दी जाती है।

7. आवेदक- **अनिल वर्मा**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो, जिसके लिए उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष खुलासा करने से विमुख किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तारीख पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।
- (iv) आवेदक प्रत्येक नियत तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दण्ड संहिता / धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकता है।



(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता / धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तारीख पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध 174-क भारतीय दण्ड संहिता / धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को (क) मामले की शुरुआत, (ख) आरोप तय किए जाने; और (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करना खुला होगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

जून 8, 2026

अर्पण

[न्यायमूर्ति राजीव सिंह]